

फॉर्म-ई

परिवार पेंशन के लिए नामांकन

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार पेंशन के नीचे दिखाए गए क्रम में प्राप्त करने के लिए हैं, जो सरकार द्वारा 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद मेरी मृत्यु की स्थिति में प्रदान की जा सकती है।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	सरकार के साथ संबंध	आयु/जन्म तिथि	चाहे विवाहित हो या अविवाहित
1.	2.	3.	4.

नामांकन मेरे द्वारा पूर्व में को रद्द किए गए नामांकन का अधिक्रमण करता है।

नोट: सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखा खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित करने से रोका जा सके

यह तारीख है

के दिन

भा.कृ.अनु.प.-सीफेट, लुधियाना

गवाह के हस्ताक्षर

1.....

2.....

सरकारी कर्मचारी के पदनाम के साथ हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाना है

नामांकन.....द्वारा

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

पद का नाम

कार्यालय.....

पद का नाम:.....

FORM 'E'
Nomination for Family Pension

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family to receive in order shown below the family pension which may be granted by the Government in the event of my death after completion of 10 years qualifying service.

Name & address of Nominee 1.	Relationship with Govt. Servant 2.	Age/Date of birth 3.	Whether married or unmarried 4.

The nomination supersedes the nomination made by me earlier on _____ which stand cancelled.

Note: The government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this _____ day of _____, _____ at **ICAR-CIPHET, Ludhiana.**

Witnesses to Signature :

**Signature with Designation of the
Govt. Servant.**

1. _____

2. _____

(To be filled in by the Head of Office)

Nomination by _____

Designation _____

Signature of the Head of Office

Office _____

Designation: